निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़

प्र0सं0 77/2018 रे.वाद **निर्णय दिनांक :– 27.11.2019**

अनवान

1. श्रीमती पानी देवी पत्नी गोकल जी रेगर आयु बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़

———वादी

बनाम

1. श्री बाबु लाल पिता मांगु जी जाति रेगर आयु बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़
2. श्रीमती पिता मांगू जी जाति रेगर आयु बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ

———प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–91–क व धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधि0

वादी का वाद संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम दोलपुरा प.ह. दौलपुरा तह. देवगढ में निम्न वर्णित आराजियात मे वादीया व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता स्व0 श्री मांगू पिता जसाजी रेगर नि. दौलपुरा तह. देवगढ ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2019 को खरीद की और खरीददार को कब्जा सिपुर्द किया अर्थात उक्त खरीद से ही खरीदशुदा भूमि पर कब्जा वादी का निरन्तर व निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु कानूनी जानकारी नही होने से वादी बाहर मजदूरी करने चला जाने से उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नही करावाया और इस दरमियान विक्रेता मांगू का स्वर्गवास हो जाने से वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि स्व0 मांगू कें वारिसान विक्रेतागण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो गई वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि के आ. नं. 848 रकबा 14.05 है। उक्त भूमि कुल किता 1 रकबा 14.05 मे से स्व0 मांगू पिता जसा ने अपने 3/114 हिस्से मे से 0.14 विस्वा भूमि का बेचान वादिया को किया जो वादिया कि रजिस्टर्ड खरीदशुदा भूमि है जिसके वर्तमान मे नया आ. नं. 848/12/1 रकबा 0.09.10 व आ. नं 848/12 रकबा 0.09.10 होकर रकबा 0.09 बिस्वा है। नये आ.नं. 484/12/1 रकबा 0.09.10 व आ.नं. 848/12 रकबा 0.09.10 कुल किता 2 रकबा 0.19 विस्वा मे वादिया के कब्जे व काश्त की भूमि जो वादिया ने प्रतिवादीगण के स्व. पिता मांगू पिता जसा से खरीद की वो 0.14 विस्वा है जिस पर वादिया का कब्जा है इसलिये वादिया आ. नं. 848/12/1 रकबा 0.09.10 कुल किता 2 रकबा 0.19 विस्वा मे से 0.14 बिस्वा भूमि की खातेदारी घोषणा व तद्नुसार विभाजन कराना चाहती है उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण के पिता स्व0 मांगू द्वारा उनके हिस्से की भूमि मे से वादिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 24.12.2009 को 0.14 बिस्वा भूमि बेचान कर दी परन्तु राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त करने व पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उक्त वादगस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज नही होने की जानकारी हुई और जानकारी होते ही वादीया ने प्रतिवादीगण को 0.14 विस्वा भूमि वादिया के नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने आश्वासन दिया कि भूमि आपके नाम करवा देगे लेकिन उन्होने ऐसा नही किया जिस पर यह वाद आप

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

न्यायालय मे पेश किया गया है अतः वादीया का बाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि जो ग्राम दौलपुरा प.ह. दौलपुरा तह. देवगढ मे स्थित हो आ. नं. 848/12/1 रकबा 0.09.10 व आ. नं. 848/12 रकबा 0.09.10 कुल किता 2 रकबा 0.19 बिस्वा मे वादिया के नाम 0.14 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकन कराते हुऐ मौके पर माफिक कब्जे के आधार पर विभाजन करा वादिया व प्रतिवादीगण के नाम पृथक–पृथक खाते दर्ज कराने की घोषणा व इसी आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे।

वादीया का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगण ने कोई जवाब पेश नही किया बल्कि सम्मन तामील हो जाने पर भी अनुपस्थित रहे जिस पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील वादी ने पत्रावली की आर्डरशीट पर लिख कर शहादत पेश नही करने बाबत निवेदन किया जिस पर वादी की साक्ष्य बंद की गई। वकील वादी की बहस सुनी। विद्वान वकील वादी नें बहस में तर्क दिया कि ग्राम दौलपुरा प.ह. दौलपुरा तह. देवगढ में वादी ने प्रतिवादी सं. 1व2 के पिता स्व0 मांगू पिता जसा जी रेगर नि. दौलपुरा द्वरा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.12.09 को भूमि खरीद की ओर खरीददार को कब्जा सिपुर्द किया उक्त खरीद से ही भूमि पर वादिया का निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी बाहर मजदूरी करता था तथा उसे कानून की जानकारी नही थी जिससे वह भूमि का रेकार्ड मे अमल दरामद नही करा पाया। इस दरमियान विक्रेता मांगू का स्वर्गवास हो गया। चूकि भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय हो चुका है मात्र कानूनी जानकारी के अभाव मे तथा गलती से भूमि का इन्द्राज खरीददार के नाम नही हो सका अतः वादिया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित आराजियात 848/12/1 रकबा 0.09.10 व 848/12 रकबा 0.09.10 कुल किता 2 रकबा 0.19 मे वादिया के कब्जे व काश्त की भूमि जो वादिया ने प्रतिवादीगण के स्व0 पिता मांगू जिता जसा से खरीद की वो 0.14 बिस्वा भूमि जिस पर वादिया का कब्जा है कि वादिया को खतेदार घोषित कराने के आदेश एवं इस आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे।

हमने वादिया के वाद पत्र नकल जमाबंदी विक्रय पत्र की फोटो प्रति एवं वादिया द्वारा पेश अन्य दस्तावेजात का अवलोकल किया तथा विद्वान वकील वादिया की बहस पर मनन किया उपरोक्त विवेचनानुसार सपष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जो ग्राम दोलपुरा प.हत्र दोलपुरा में स्थित है वर्तमान आ.नं. 848/12/1 रकबा 0.09.10 व आ.नं. 848/12 रकबा 0.09.010 कुल किता 2 रकबा 0.19 विस्वा में वादिया के नाम 0.14 विस्वा भूमि का अंकन करने के आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अंकन कर पालना रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

राजस्थान–सरकार

डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द
निर्णय श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
प्र0सं0 77/2018 रे.वाद **निर्णय दिनांक :– 27.11.2019**

अनवान

1. श्रीमती पानी देवी पत्नी गोकल जी रेगर आयु बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़

———वादी

बनाम

1. श्री बाबु लाल पिता मांगु जी जाति रेगर आयु बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़
2. श्रीमती पिता मांगू जी जाति रेगर आयु बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ

———प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–91–क व धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधि0

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू.. ....मिनजानिब मुद्दायलह पे ा हो वादी का वाद पत्र इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि तथा ग्राम दोलपुरा प.हल्का दोलपुरा में स्थित है वर्तमान आ.नं. 848/12/1 रकबा 0.09.10 व आ.नं. 848/12 रकबा 0.09.010 कुल किता 2 रकबा 0.19 विस्वा में वादिया के नाम 0.14 विस्वा भूमि का अंकन करने के आदेश दिये जाते है नीज..मुबलिग.............. ....बाबत्.......................................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शहर.................................. ....फीसदी सालाना आज की तारि ख से तारीख वसूलयाबी तक.................................. ....का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 27 मास् 11 सन् 2019 की जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला राजसमन्द
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	4	00	स्टाम्प वकालातनामा	0	00
स्टाम्प वकालातनामा	1	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0.	00	महनताना वकील)पर	0	00
महनताना वकील)पर	0	00		0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफर्रिक	2	00	मुतफर्रिक	0	
मिजान	7	00	मिजान	00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिऐं।

अधिकारी

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर / उपखण्ड
देवगढ़ जिला–राजसमन्द